एकल पीठ

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 137 वर्ष 2006

अपीलार्थी :-

जितेन्द्र मिश्रा, आत्मज स्वर्गीय गणेश राम मिश्रा, आयु लगभग 24 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी ग्राम बेगुडेगा, थाना लैलूंगा, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी :-

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत दांडिक अपील का ज्ञापन

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 137/2006

जितेन्द्र मिश्रा

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु प्रकरण दिनांक 14.08.2006 को सूचीबद्ध करें।

हस्ता./-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 137/2006

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

जितेन्द्र मिश्रा

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थिति:-

- श्री एस.एन. नंदे, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
- श्री एम.पी.एस. भाटिया, राज्य की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

(आज दिनांक 14 अगस्त, 2006 को पारित किया गया)

1. यह अपील श्री जी.आर. सांडे, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 58/2004 में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और 306 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया और भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत तीन वर्ष छह माह के कठोर कारावास एवं 2000/- रुपये के अर्थदंड से

दंडादिष्ट किया गया। दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया।

2. अपीलार्थी दिनांक 16.1.2004 से कारागार में है।

3. सह-अभियुक्त महेश्वर पंडा, जो एक निकट संबंधी है, संतोषिनी, बहन और सुमित्रा, आवेदक की माता को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 498-क के आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 304-ख के आरोप से भी दोषमुक्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मृतक मीनाक्षी, मनोरंजन रथ अभि. सा.1 की पुत्री का विवाह दिनांक 11.2.2001 को वर्तमान अपीलार्थी के साथ संपन्न हुआ था। यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता की और उसे प्रताड़ित किया। मीनाक्षी ने दिनांक 5.1.2004 को विषपान कर लिया और उसे अपीलार्थी द्वारा उसी दिन शाम 5.05 बजे शासकीय अस्पताल, पत्थलगाँव में भर्ती कराया गया जहाँ शाम 5.35 बजे उसकी मृत्यु हो गई। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक द्वारा प्रदर्श पी.5 के माध्यम से थाना प्रभारी, थाना पत्थलगाँव को सूचना भेजी गई। थाना पत्थलगाँव में मर्ग सूचना दर्ज की गई। प्रदर्श पी.2/ए के अनुसार मीनाक्षी के शव का पंचनामा तैयार किया गया जिससे विषाक्त पदार्थ के सेवन से मृत्यु होने का संदेह उत्पन्न

हुआ। शव परीक्षण डॉ. वाई.के. टोप्पो अभि. सा.11 द्वारा किया गया जिन्होंने अभिमत दिया कि मृत्यु किसी अज्ञात विष के सेवन के कारण हृदय श्वसन अवरोध के परिणामस्वरूप हुई और यह प्रकृति से आत्मघाती थी। मनोरंजन रथ द्वारा थाना लैलूंगा में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें कथन किया गया कि अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों ने मीनाक्षी को जबरन विष देकर उसकी हत्या कारित की है। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, अपीलार्थी और तीन अन्य रिश्तेदारों के विरुद्ध, जैसा कि कण्डिका 3 (उपरोक्त) में उल्लेखित है, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 498-क और धारा 34 के साथ पठित धारा 304-ख के अंतर्गत चालान प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी ने अपराध स्वीकार नहीं किया। अभियोजन ने कुल 17 साक्षियों का परीक्षण किया। अपीलार्थी ने दिनांक 5.1.2004 को मीनाक्षी की मृत्यु के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और निर्दोष होने का अभिवचन किया। आलोक रंजन बचा. सा.1 का परीक्षण बचाव साक्षी के रूप में कराया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विश्वास करते हुए, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और 306 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और उसे कण्डिका 1 में वर्णित अनुसार दंडादिष्ट किया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एन. नंदे ने तर्क दिया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और 306 के

अंतर्गत अपीलार्थी के दोष को स्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि मीनाक्षी की आत्मघाती मृत्यु के लिए अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार के दुष्प्रेरण से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं था। यह आग्रह किया गया कि अभियोजन मृतक की विसरा रिपोर्ट प्रस्तुत करने और सिद्ध करने में विफल रहा है, जिसके कारण यह भी स्थापित नहीं हुआ कि मीनाक्षी की मृत्यु विषपान के कारण हुई थी। धर्मचरण पंडा अभि. सा.6, मनोरंजन रथ अभि. सा.1 और श्रीमती विष्णु प्रिया अभि. सा.2 के परिसाक्ष्य, जो अपीलार्थी द्वारा मीनाक्षी के उत्पीड़न से संबंधित है, मात्र एक उत्तरचिंतन था क्योंकि श्रीमती विष्णु प्रिया अभि. सा.2 द्वारा कण्डिका 13 में और मनोरंजन रथ द्वारा कण्डिका 22 में यह स्वीकारोक्ति की गई थी कि विवाह के समय दहेज की कोई मांग नहीं थी। इसके विपरीत, विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. भाटिया ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के उपरांत, मैंने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अत्यंत सूक्ष्मता से परिशीलन किया है। मनोरंजन रथ अभि. सा.1 का कण्डिका 6 में परिसाक्ष्य दर्शाता है कि अपीलार्थी अपनी पत्नी को उचित भोजन तक नहीं देता था, जो ससुराल जाने पर हमेशा रोती रहती थी। उसने यह भी कथन किया कि वह अपीलार्थी और उसके रिश्तेदारों से अपनी पुत्री के साथ अच्छा व्यवहार करने की विनती करता था, किन्तु सब व्यर्थ रहा।

8. यह सत्य है कि श्रीमती विष्णु प्रिया अभि. सा.2 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 13 में स्वीकार किया है कि विवाह के समय दहेज की कोई मांग नहीं थी, परन्तु उसके परिसाक्ष्य की कण्डिका 7 में स्पष्ट कथन है कि अपीलार्थी उसकी पुत्री के साथ क्रूरता करता था और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देता था तथा उसे हर प्रकार से प्रताड़ित करता था। धर्मचरण पंडा अभि. सा.6 का परिसाक्ष्य उस क्रूरतापूर्ण ढंग को दर्शाता है जिसमें मृतक के साथ नौकर की तरह व्यवहार किया जाता था और उसे जूठा भोजन खाने के लिए विवश किया जाता था। उसका कण्डिका 5 और कण्डिका 13 में दिया गया साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में पूर्णतः अक्षुण्ण रहा है। बचाव पक्ष ने इस साक्षी के धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पूर्व कथन से उसका खंडन नहीं किया है। इस प्रकार, अभिलेख पर विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य उपलब्ध हैं जो यह दर्शाते हैं कि मीनाक्षी को अपीलार्थी द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अंतर्गत दोषसिद्धि सुस्थापित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. जे. मिंज अभि. सा.8 ने कथन किया कि मीनाक्षी को उसके पति अर्थात् अपीलार्थी द्वारा दिनांक 5.1.2004 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसने बताया था कि उसने विष का सेवन किया है। डॉ. वाई.के. टोप्पो अभि. सा.11 द्वारा प्रस्तुत शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.7 में भी इस संदेह की कोई गुंजाइश नहीं बचती है कि मीनाक्षी की मृत्यु किसी विषाक्त पदार्थ के सेवन के

कारण हुई थी। मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी.2/ए भी दर्शाती है कि पंचों की राय में मीनाक्षी की मृत्यु किसी विष के सेवन के कारण हुई थी। यह सत्य है कि मृत्यु समीक्षा के समय, मृतक के रिश्तेदारों ने अपीलार्थी द्वारा मीनाक्षी के उत्पीड़न या क्रूरता का खुलासा नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, परन्तु जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आलमगीर सानी विरुद्ध असम राज्य 2003 एआईआर एससीडब्ल्यू 111** के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है, इस आधार पर माता-पिता के साक्ष्य के विरुद्ध कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि अपनी पुत्री को अप्राकृतिक अवस्था में मृत देखने के बाद माता-पिता को जो आघात लगा होगा, वे तत्काल उसके कारणों को व्यक्त करने में सक्षम नहीं रहे होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क इस प्रकार है:

> "**113क. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा-** जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय प्रकरण की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए "क्रूरता" का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क में है।] "

11. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से इस प्रकार यह स्थापित होता है कि मीनाक्षी ने दिनांक 5.1.2004 को किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन करके आत्महत्या की थी। यह निर्विवाद है कि उसकी मृत्यु विवाह की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के भीतर हुई थी। यह भी स्थापित है कि अपीलार्थी ने उसके साथ क्रूरता की थी। इन परिस्थितियों में, अपीलार्थी के विरुद्ध यह उपधारणा सुरक्षित रूप से निष्कर्षित की जा सकती है कि मीनाक्षी द्वारा की गई आत्महत्या को अपीलार्थी द्वारा दुष्प्रेरित किया गया था। ऐसी उपधारणा खंडन योग्य है। तथापि, वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी ने अपने प्रतिरक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और न ही धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने परीक्षण में मीनाक्षी की आत्मघाती मृत्यु के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया है। इस दृष्टिकोण से, अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के अंतर्गत उत्पन्न उपधारणा पूर्णतः अक्षुण्ण रही है। अतः अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषसिद्धि भी सुस्थापित है।

12. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत, मेरा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी की धारा 498-क और 306 भा.दं.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि और विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए दंडादेश सुस्थापित हैं और उनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. परिणामस्वरूप, यह अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

हस्ता./-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur